भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 413**

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

15 माघ, 1943 (शक)

# टेक फॉग ऐप के विरुद्ध कार्रवाई

**413. डॉ. एल. हनुमंतय्या** :
**श्री सैयद नासिर हुसैन** :
**श्रीमती फूलो देवी नेतम** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आम नागरिकों के व्हाट्सएप अकांउट्स को हैक करने या अपने नियंत्रण में लेने में संचालकों को सक्षम बनाने वाली टेक फॉग ऐप के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है या करने की मंशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार, लक्षित व्हाट्सएप प्रयोक्ताओं की निजी जानकारी को टेक फॉग ऐप द्वारा कैसे जालसाजी से लिया जाता है और इसे उत्पीड़न अभियानों के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, के संबंध में जांच की है या करने की मंशा रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) नागरिकों को पहचान की चोरी के खतरे और उनके फोन नंबर को हैक किए जाने से उत्पन्न हुए अपराधिक मामलों की संभावित कानूनी जवाबदेही से बचाने के लिए सरकार क्या मंशा रखती है ?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)**

**(क) से (घ)** सरकार ने कथित ऐप अर्थात 'टेक फॉग' नामक के बारे में समाचार से संबंधित लेखों को नोट किया है, जिसका उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हेरफेर करने के लिए किया गया है। इस मंत्रालय ने प्रमुख ऐप स्टोर और एपीके स्टोर पर ऐप का पता लगाने की कोशिश की है और इनमें से किसी भी ऑनलाइन स्टोर में ऐप नहीं मिला । यह मंत्रालय किसी भी तकनीकी सूभेद्यता से अवगत नहीं है जो सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करता है जैसा कि समाचार से संबंधित लेखों के बारे में रिपोर्ट की गई है।

**(ड.)** सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह हो। जैसे-जैसे इन्टरनेट का विस्तार होता है वैसे ही लोगों को कई तरह के लाभ मिलते हैं । सरकार कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म/माध्यस्थों के दुरुपयोग से होने वाले उपयोगकर्ताओं को नुकसान की बढ़ती घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसमें पहचान की चोरी से संबंधित साइबर अपराध भी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में ऐसे किसी भी साइबर अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जहां अधिनियम की धारा 66 ग और 66 घ में विशेष रूप से क्रमश: पहचान की चोरी के लिए और कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छदम भेष द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, किसी भी हैकिंग या हैकिंग के संदिग्ध प्रयास की सूचना भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल को भी दी जा सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के नियम 3 (2) ख में किसी भी इमेजरी को तुरंत हटाने का भी प्रावधान किया गया है जो एक माध्यस्थ प्लेटफार्म से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है।

*****